

अध्याय III

नियमों एवं विनियमों का अननुपालन

3.1 प्रस्तावना

हमने सेवा कर के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की और कर भुगतान एवं सेनवेट क्रेडिट लेने की सटीकता की जांच की। हमने सेवा कर के गैर/कम भुगतान, अनुचित रूप से सेनवेट क्रेडिट लेने और इसका उपयोग करने आदि के मामले देखे। हमने ₹ 216.34 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 98 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन आपत्तियों से अवगत कराया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 206.70 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 97 ड्रॉफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की (जनवरी 2016 तक) और एक मामले में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। 97 पैराग्राफों में से मंत्रालय ने ₹ 162.54 करोड़ (परिशिष्ट-II) राशि वाले 95 पैराग्राफों को मान लिया और दो मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। इन स्वीकृत राशियों में से, ₹ 33.20 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। महत्वपूर्ण आपत्तियाँ की चर्चा नीचे दो मुख्य शीर्षकों के तहत की गई है:

- सेवा कर का भुगतान
- सेनवेट क्रेडिट लेना

3.2 सेवा कर का भुगतान

3.2.1 खनिज, तेल अथवा गैस सेवा का खनन

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105) के अनुसार खनिज, तेल अथवा गैस सेवा के खनन पर 1 जून 2007 से सेवा कर देय था और इसे खनिज, तेल अथवा गैस के खनन के संबंध में किसी व्यक्ति को दी गई सेवा या दी जाने वाली सेवा के रूप में परिभाषित किया गया था।

1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 1/2002-एसटी के अनुसार, वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V के प्रावधान को भारत की महाद्वीपीय सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया था जैसा कि विदेश मंत्रालय मामले सं. एस.ओ. 429 (ई) दिनांक 18 जुलाई 1986 और

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

एस.ओ. 643(ई) दिनांक 19 जुलाई 1996 में भारत की अधिसूचना द्वारा घोषणा की गई थी।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं में कुओं और तत्संबंधी समंवकों का नाम दर्शाया गया था जिसे निर्धारित किए जाने वाले क्षेत्रों में घोषित किया गया था।

अधिसूचना सं. 21/2009 दिनांक 7 जुलाई 2009 द्वारा फिर से अधिसूचना सं. 1/2002, दिनांक 1 मार्च 2002 संशोधन कर दिया गया और शब्दों 'महाद्वीपीय क्षेत्र में निर्धारित क्षेत्रों' को बदल दिया गया तथा इसे 'भारतीय महाद्वीप और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापना, संरचना और पोत एवं तत्काल रूप से प्रभावी कर दिया गया।'

इसका तात्पर्य था कि चाहे निर्धारित अथवा गैर निर्धारित क्षेत्रों में प्रदान की गई सभी सेवाओं पर कर लगाया जाएगा बशर्ते कि वे भारतीय महाद्वीपीय सीमा और भारत के आर्थिक क्षेत्र में आते हों।

3.2.1.1 मुंबई सेवा कर-॥ कमिश्नरी में मै. ट्रांसओशन ऑफशोर डीपवॉटर ड्रिलिंग आईएनसी और मै. सिडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग आईएनसी. ने 7 जुलाई 2009 से 12 नवम्बर 2009 की अवधि के दौरान निर्धारित क्षेत्रों के अलावा क्षेत्रों में ओएनजीसी लिमिटेड को तेल खनन सेवाएं प्रदान कीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि ये सेवाएँ देने के लिए निर्धारितियों ने सितम्बर 2009 से दिसम्बर 2009 के दौरान ₹ 288.49 करोड़ की राशि (₹ 196.75 करोड़ + ₹ 91.74 करोड़) प्राप्त की। यह भी देखा गया कि इस राशि पर कोई सेवा कर नहीं अदा किया गया जो सही नहीं था क्योंकि उपरोक्त कथित अधिसूचना के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपीय सीमा और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित सभी सेवाओं पर सेवा कर देय था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त उल्लिखित अवधि के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए ₹ 30.27 करोड़ (₹ 20.27 करोड़ + ₹ 10 करोड़) के सेवा कर का गैर भुगतान हुआ।

जब हमने इसे बताया (फरवरी और मार्च 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और कहा कि (दिसम्बर 2015) की ₹ 38.70 करोड़ और ₹ 14.31 करोड़ राशि की माँग करते हुए क्रमशः मै. ट्रांसओशन ऑफशोर डीपवॉटर ड्रिलिंग आईएनसी और मै. सिडको फॉरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग

आईएनसी. को एससीएन जारी किया गया था और दोनों मामलों में निर्णय दिया गया था और माँग की पुष्टि की गई थी।

3.2.1.2 सेवा कर-IV मुंबई कमिश्नरी में मै. बी.जी. एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन इंडिया लि. (बीजीईपीआईएल) ने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ मिलकर एक अनिगमित संयुक्त उद्यम बनाया था और खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस खनन गतिविधियों में संलग्न थी, जिसके द्वारा संयुक्त उद्यम में शेयर होल्डिंग अनुपात (अर्थात् बीजीईपीआईएल 30 प्रतिशत, ओएनजीसी 40 प्रतिशत और आरआईएल 30 प्रतिशत) में लागत और लाभ साझा किया गया। ओएनजीसी ने अपतट से तट (वितरण बिन्दु) तक खनिज तेल के परिवहन हेतु परिवहन सेवार्यें प्रदान की थीं जिसके लिए संयुक्त उद्यम से ₹ 83.85 करोड़ राशि का परिवहन प्रभार वसूला गया था।

आगे की संवीक्षा से पता चला कि ओएनजीसी ने बीजक मूल्य (अर्थात् बीजीईपीआईएल और आरआईएल के शेयर) के 60 प्रतिशत पर सेवा कर लगाया था। शेष 40 प्रतिशत को संयुक्त उद्यम में ओएनजीसी का हित होने के कारण 'स्टॉक स्थानांतरण' के रूप में माना गया था और इसलिए 40 प्रतिशत तक मूल्य घटा दिया गया था। अतः उपरोक्त प्रावधान को देखते हुए सेवा का कुल मूल्य (अर्थात् कुल परिवहन प्रभार) को सेवा कर के भुगतान हेतु माना जाना चाहिए था न कि आंशिक राशि।

उपरोक्त प्रावधान के अनुपालन के परिणामस्वरूप मई 2007 से मार्च 2011 की अवधि³⁸ के लिए ₹ 48.62 करोड़ की राशि के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जिसकी ब्याज और शास्ति सहित वसूली की जानी थी।

जब हमने इसके बारे में बताया (अप्रैल 2012), कमिश्नरी ने बताया (मई 2015) कि निर्धारिती को अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2014 की अवधि के लिए ₹ 39.43 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था।

³⁸ निर्धारिती ने उल्लेख किया कि अप्रैल 2007 तक सेवा कर परिवहन प्रभारों के मूल्य पर भुगतान किया जाता था।

2016 की रिपोर्ट सं. 1 (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)

इसके अतिरिक्त कर प्रभाव में अन्तर के कारणों और लेखापरीक्षा आपत्ति और एससीएन के बीच कवर की गई अवधि के बारे में विभाग का उत्तर और मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2016)।

3.2.2 निर्धारितियों का पंजीकरण

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 69 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो सेवा कर के भुगतान का दायी है को सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 68(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति, जो कर योग्य सेवा प्रदान करता है को सेवा कर का भुगतान करना होगा।

यह पाया गया कि मै बीएल कश्यप एंड सन्स लि. ने मै. एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल), भटिंडा, (चण्डीगढ़ 11 कमिश्नरी) को निर्माण कार्य सेवाएं प्रदान की तथापि, सेवा प्रदाता नतो विभाग के पास पंजीकृत था न उसने 2009-10 से 2011-12 के दौरान अपनी सेवा कर देयता को पूरा किया था। सेवा प्रदाता ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान निर्माण कार्य सेवाओं के प्रति ₹ 139.22 करोड़ प्राप्त किए किन्तु सेवा प्राप्तकर्ता से सेवा कर प्रभारित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.73 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ। सेवा प्रदाता वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75, 76, और 78 के अन्तर्गत ब्याज और शास्ति के भुगतान का भी दायी था।

जब हमने इसके बारे में बताया (जून 2012), कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2013) कि मामला सेवा कर कमिश्नरी, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकारी कमिश्नर को जांच के लिए और सरकारी देयों की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए भेजा गया था और आगे कहा कि मामला सहायक कमिश्नर (अपवंचन रोधी) सेवा कर कमिश्नरी, नई दिल्ली को सेवा प्रदाता के प्रति आवश्यक कार्रवाई और आपत्ति किए गए सेवा कर राशि की वसूली हेतु संदर्भित किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)

3.2.3 सेवा के आयात के तहत सेवा कर का भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66(ए) के अनुसार, जहाँ धारा 65 के खण्ड (105) में विनिर्दिष्ट कोई सेवा प्रदान की जाती है या एक व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती होती है जिसने अपना कारोबार स्थापित किया हो या ऐसी स्थापित स्थापना से भारत से अन्य किसी देश से सेवा प्रदान करता है और एक ऐसे व्यक्ति (प्राप्तकर्ता) द्वारा भारत में प्राप्त की जाती है तो ऐसे मामलों में ऐसी सेवा का प्राप्तकर्ता सेवा कर के भुगतान का दायी है।

में ओकैप चेजिज पार्ट्स प्रा.लि, भिवाडी, अलवर कमिश्नरी में एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट ने विदेशी सेवा प्रदाता से प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान/व्यय किया। 2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए तुलना-पत्र की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने यात्रा व्यय, बैंक प्रभारों, प्रदर्शनी प्रभारों, सामग्री जांच प्रभार और विदेशी सेवा प्रदाताओं से प्राप्त विभिन्न सेवाओं के लिए सी एंड एफ प्रभारों पर ₹ 2.87 करोड का भुगतान/व्यय किया किन्तु इस राशि पर उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपकर सहित ₹ 33.82 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2015) मंत्रालय ने कहा (अक्टूबर 2015) कि एक समान मामले में विभाग द्वारा की गई अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित थी, जिस पर कोई स्थगन नहीं दिया गया था। अतः इस स्तर पर उक्त निर्णय के विपरीत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तथापि, ₹ 43.51 लाख के सेवा कर की वसूली हेतु सुरक्षात्मक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (जून 2015)।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि समान मामला उच्च न्यायालयों में लम्बित था राजस्व को बचाने के लिए स्वयं विभाग द्वारा एक एससीएन जारी किया जाना चाहिए था, जो हमारे द्वारा बताए जाने के बाद ही किया गया था।

3.3 सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेना

3.3.1 सेनवेट क्रेडिट वापिस न करना/ कम वापिस करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अनुसार, सेनवेट क्रेडिट इनपुट या इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जिसे छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग किया गया है। नियम 2 (ई) के अनुसार, 'छूटप्राप्त सेवा' का अर्थ है कर योग्य सेवाएं जो उस पर उद्ग्राह्य पूरे सेवा कर से छूट प्राप्त हैं और उसमें वित्त अधिनियम की धारा 66 बी के तहत कोई सेवा कर उद्ग्राह्य नहीं है। दिनांक 1 मार्च 2011 की अधिसूचना सं. 03/2011-सीई (एनटी) में स्पष्ट किया गया है कि 'छूट प्राप्त सेवाओं' में 'ट्रेडिंग' शामिल है। इसके अलावा, दिनांक 29 अप्रैल 2011 के बोर्ड के परिपत्र सं. 943/04/2011 सीएक्स के अनुसार 'ट्रेडिंग' की 1 अप्रैल 2008 से पूर्व से ही एक 'छूटप्राप्त सेवा' है।

मुम्बई कमिश्नरी में मै. एल एंड टी लिमिटेड (हैवी. इंजी. डिविजन) पोवई, जो ट्रेडिंग कार्यों में भी लगा है, इनपुट सेवा पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए योग्य थी। तदनुसार, निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के लिए नियम 6(3ए) के साथ पठित नियम 6(3)(ii) के अनुसार सामान्य सेवाओं के संबंध में रिवर्स आनुपातिक सेवा कर क्रेडिट के विकल्प का उपयोग किया।

- (i) लेखापरीक्षा ने पाया कि छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में आनुपातिक क्रेडिट को रिवर्स करने के लिए वि व 11 के दौरान ट्रेडिंग कार्य पर विचार नहीं किया गया था। ट्रेडिंग कार्यों पर आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट ₹ 22.03 लाख था जो ₹ 14.49 लाख की राशि के ब्याज सहित रिवर्स किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार का प्रयोग वित्तीय वर्ष 09 और वि व 10 के लिए भी किए जाने की आवश्यकता थी।
- (ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि वि व 12 और वि व 13 के लिए भी, निर्धारिती प्रत्येक माह के लिए अनंतिम आधार पर 'ट्रेडिंग कार्यों' सहित छूट प्राप्त आउटपुट सेवाओं के लिए सेवा कर क्रेडिट की गणना और भुगतान कर रहा था, और पूरे वर्ष के लिए अन्तिम देय सेवा कर

क्रेडिट का निर्धारण 8.23 प्रतिशत³⁹ (वि व 12 के लिए) और 9.28 प्रतिशत (वि व 13 के लिए) पर किया गया था।

तथापि, निर्धारिती द्वारा फाइल की गई गणना की ईआर-1 रिटर्न तुलना से पता चला कि निर्धारिती ने 'वित्तीय वर्ष के दौरान इनपुट सेवाओं पर लिए गए कुल सेनवेट क्रेडिट' पर विचार नहीं किया था, जैसा कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए)(सी)(iii) के प्रावधानों में अनुबद्ध है। रिवर्सिंग करते समय निर्धारिती सूत्र के उल्लघन में केवल 'सामान्य इनपुट सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट' अपना रहा था।

इस चूक के परिणामस्वरूप गलत गणना और ₹ 65.49 लाख (वि व 12 के लिए) और ₹ 78.08 लाख (वि व 13 के लिए) की राशि का कम रिवर्सल हुआ। इसे ब्याज सहित रिवर्स करने की आवश्यकता है।

- (iii) अवधि को कवर करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा ने छूट प्राप्त माल के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6 के अननुपालन के बारे में बताया और निर्धारिती को छूट प्राप्त माल के पाँच प्रतिशत (1 अप्रैल 2012 से प्रभावी छह प्रतिशत) की राशि का भुगतान करना दायी था। किन्तु आन्तरिक लेखापरीक्षा ने छूट प्राप्त सेवाओं (ट्रेडिंग सहित) किसी चूक के बारे में नहीं बताया जैसा कि सेरा द्वारा बताया गया था।

जब हमने इस बारे में बताया (अप्रैल 2014) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2015) कि वि व 10 से वि व 13 के लिए ₹ 1.41 करोड़ की राशि का एससीएन जारी किया गया था और वि व 14 की अवधि के लिए ₹ 4 लाख की राशि का एक और एससीएन जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है देरी से एससीएन जारी करने के कारण वि व 09 के लिए मांग समय-बाधित हो गई थी।

³⁹ सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए)(सी)(iii) के अन्तर्गत निर्धारित सूत्र के अनुसार

